न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 22/2018

वादीगण:–

1. सुनिल पुत्र सुगनाराम जाति–मेघवाल निवासी– डिगरना तहसील– जैतारण जिला–पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. सलीम खां पुत्र मांगीलाल
2. बरकत खां पुत्र मांगीलाल
3. घीसाराम पुत्र रसुल खां
4. हाजरी पत्नी करीम खां
5. लाल मोहम्मद पुत्र करीम खां
6. सुभान खां पुत्र करीम खां
7. गनी मोहम्मद पुत्र करीम खां
8. निजामुदीन पुत्र करीम खां
9. पताई पुत्री करीम खां
10. गजराई पुत्री करीम खां सभी जातियान– लौहार मुसलमान, निवासीगण– बिरोल, तहसील– जैतारण पाली।
11. दुर्गाराम पुत्र जयराम
12. विशनाराम पुत्र जयराम
13. रामअवतार पुत्र जयराम
14. दरियाव पुत्री जयराम जातियान– बावरी निवासीगण– बिरोल तह–जैतारण।
15. अकबर अली पुत्र लालु खां जाति– तेली मुसलमान
16. उमेश प्रजापत पुत्र भूराराम जाति–प्रजापत
17. सत्यनारायण पुत्र बालुराम जातिं–जाट निवासीगण– बिरोल तह–जैतारण।
18. अमराराम पुत्र पोकरराम जाति–जाट निवासी– डिगरना तह–जैतारण पाली।
19. अब्दुल अजीज पुत्र सुल्तान
20. रूस्तम खां पुत्र रसीद खां
21. रूस्तम खां पुत्र हाजी गफार खां जातियान– सिपाही मुसलमान
22. अब्दुल हकीम पुत्र अब्दुल गनी कुरैशी मुसलमान निवासीगण–जैतारण तह–जैतारण।
23. रणजीतप्रकाश सिंह पुत्र मोतीलाल जाति–जाट निवासी– झुझण्डा तह.– जैतारण।
24. शेरू खां पुत्र आसु खां
25. रईसा पुत्री आसु खां
26. मुमताज पुत्री आसु खां
27. शाबुदीन पुत्र आसु खां

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

जातियान–तेली मुसलमान–
निवासीगण– बिरोल तह.–जैतारण
28. मुकेश पुत्र रामचन्द्र जाति–मोची
निवासी– जैतारण।
29. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
अधिकारी जी जैतारण
तहसील–जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.18/01/2018

उपस्थित:– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता वादीगण ।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण ।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक:– 12/02/2020

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा– बिरोल, पटवार हल्का–बिरोल में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 372 रकबा 0–11 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 373 रकबा 95 बीघा 16 बिस्वा, कुल खसरा 02 कुल रकबा 96 बीघा 07 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण सभी माफिक अपने–अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती है जिसका कानूनन बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा न ही राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान का कोई हिस्सा अंकित ही है तथा मौके पर उपरोक्त वर्णित आराजी पक्षकारान अपनी सहमति से अपने हिस्सेनुसार काबिल होकर काश्त कर रहे है तथा आपसी सहमति से उक्त आराजी का मौके पर बंटवाड़ा कर रखा है। परन्तु कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। तथा मौके पर हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती होने एवं कानूनन बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं होने से वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें वादी अपने हिस्से में खाद, बीज डालकर उसे उपजाऊ नहीं बना सकता है, कृषि कुंआ नहीं खुदवा सकता है। विघुत कनेक्शन नहीं ले सकता है। किसान केडिट कार्ड भी नहीं बनवा सकता है। उपरोक्त वर्णित आराजी का कानूनन बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवारा नहीं होने से एवं पक्षकारान के मध्य हिस्से का खुलासा नहीं होने से वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी को पक्षकारान आगे से आगे विवादित आराजी को अपनी मनमर्जी से रहन, बेचान व बक्शीश करने को

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

...मादा है। तथा प्रतिवादीगण बिना बंटवाड़ा करवाये एवं बिना अपने हिस्से का ...कन करवाये किसी अन्य को बेचान कर प्रतिवादीगण अपने गैर कानूनी कार्य को ...ोर आगे जारी रखेंगे तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी ...कदर संभव नहीं है। यदि वादी की आराजी बिना बंटवाड़ा कराये गैर कानूनी कृत्य ...ोता तो वादी अपने साम्पैतिक अधिकारों से वंचित होगा। इसलिए वादी का यह ...ाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। दिनांक 10.01. 2018 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का कानूनन बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करने को कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये एवं वादी को धमकी दी कि वो उसे मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना कब्जा जमा लेंगे तथा इसको अजनबी व्यक्तियों को रहन, बेचान व अन्य हस्तांतरण कर देंगे। जिससे वादी अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगा। तथा एवं वादी अपने आराजी का उपयोग उपभोग नहीं कर सकेगा। एवं अपने साम्पैतिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। प्रतिवादीगण अजनबी व्यक्तियों के साथ मिलकर धनबल के आधार पर आये दिन वादी की आराजी में दखल व दस्तन्दाजी कर रहे है एवं उन्हें बेदखल करने की पुरी कोशिश कर रहे हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने इन गैरकानूनी मंसुबों में कामयाब हो जाते है तो वादी अपने जायज हक अधिकारों से हमेशा के लिए वंचित हो जायेगा। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 10.01. 2018 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से जबरदस्ती बेदखल करने व भूमि को जरिये रहन, बेचान के अन्य हस्तांतरण करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम बिरोल तहसील-जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 03, 05 से 08, 17 की ओर से वकील श्री सुरेश चौधरी ने, प्रतिवादी संख्या 19 से 22 की ओर से वकील श्री किशोर कुमावत बिरोल तथा प्रतिवादी संख्या 28 की ओर से देवाराम कटारिया ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश करने के अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदावा पेश नहीं करने से जवाबदावा बन्द किया गया। वाद के समर्थन में वकील वादी ने वादी का साक्ष्य शपथपत्र पेश किया, प्रदर्श लगाये गये। सामिल मिसल किया गया। बहस वकील वादी सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबन्दी संवत् 2073-76 का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी संवत् 2073-2076 खसरा नंबर 372 रकबा

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

–11 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 373 रकबा 95 बीघा 16 बिस्वा, एवं खसरा 02 कुल रकबा 96 बीघा 07 बीघा भूमि आई हुई है। जिसका वादी एवं प्रतिवादीगण बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा चाहता है, लिहाजा माफिक राजस्व रेकर्ड वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा भीवगढ पटवार हल्का रास–2, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित खसरा नम्बर 2239/3 रकबा 4–05 बीघा किस्म सेवज अव्वल की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/1150 दिनांक 26/06/2019 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2020/243 दिनांक 17/01/2020 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बिरोल, पटवार हल्का बिरोल, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित खसरा नंबर 372 रकबा 0–11 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 373 रकबा 95 बीघा 16 बिस्वा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	सुनिल मेघवाल पुत्र सुगनाराम कौम–मेघवाल सा. डिगरना खातेदार।	373/1	12-01	चाही दो.	42.1
	योग	**373/1**	**12-01**	चाही दो.	**42.1**
2.	सलीम खां बरकत खां पि. मांगीलाल, घीसाराम पुत्र रसूल के का.मु. सिकन्दर सिक्का खां पि. घीसुखां, पिस्ता लीला पुत्रियां घीसुखां, धापुडी पत्नी घीसुखां हाजरी पत्नी करीम,	372	0-11	चाही दो.	1.93
		373	24-0	चाही दो.	82.01
		373/2	59-15	चाही	211.12

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

	लालमोहम्मद, सुभानखां, गनीमोहम्मद निजामुदीन पि. करीम, पताई, गजराई पुत्रिया करीम कौम लुहार, दुर्गाराम विशनाराम रामअवतार पि. जयराम, दरियाव पत्नी जयराम कौम बावरी सा.देह के बैचान से(मुकेश पुत्र रामचन्द्र कौम मोची सा.जैतारण) अब्दुल अजीज पुत्र सुल्तान खां कौम सिपाही मुसलमान सा.जैतारण, अब्दुल हकीम पुत्र अब्दुल रानी कौम मुसलमान कुरैशी सा. जैतारण रूस्तम खां पुत्र रसीद खां कौम- मुसलमान सिपाही सा. जैतारण अकबर अली पुत्र लालु रईसा पत्नी सरबुदीम, साबुदीन पुत्र आसु खां, शेरू खां पुत्र आसु खां, रहीसा, मुमताज पुत्रियां आसु कौम-तेली सा.देह, रणजीतसिंह पुत्र मोतीलाल कौम-जाट सा. झुझण्डा, अमराराम पुत्र पोकरराम कौम-जाट सा. डिगरना, सत्यनारायण पुत्र बालुराम चौधरी कौम-जाट सा.देह खातेदार			दो.	
	योग	**03**	**84-06**	**चाही दो.**	**295.06**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 12/02/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादीगणः– बनाम प्रतिवादीगणः–

1. सुनिल पुत्र सुगनाराम जाति–मेघवाल निवासी– डिगरना तहसील– जैतारण जिला–पाली।

1. सलीम खां पुत्र मांगीलाल
2. बरकत खां पुत्र मांगीलाल
3. घीसाराम पुत्र रसुल खां
4. हाजरी पत्नी करीम खां
5. लाल मोहम्मद पुत्र करीम खां
6. सुभान खां पुत्र करीम खां
7. गनी मोहम्मद पुत्र करीम खां
8. निजामुदीन पुत्र करीम खां
9. पताई पुत्री करीम खां
10. गजराई पुत्री करीम खां सभी जातियान– लौहार मुसलमान, निवासीगण– बिरोल, तहसील– जैतारण पाली।
11. दुर्गाराम पुत्र जयराम
12. विशनाराम पुत्र जयराम
13. रामअवतार पुत्र जयराम
14. दरियाव पुत्री जयराम जातियान– बावरी निवासीगण– बिरोल तह–जैतारण।
15. अकबर अली पुत्र लालु खां जाति– तेली मुसलमान
16. उमेश प्रजापत पुत्र भूराराम जाति–प्रजापत
17. सत्यनारायण पुत्र बालुराम जाति–जाट निवासीगण– बिरोल तह–जैतारण।
18. अमराराम पुत्र पोकरराम जाति–जाट निवासी– डिगरना तह–जैतारण पाली।
19. अब्दुल अजीज पुत्र सुल्तान
20. रूस्तम खां पुत्र रसीद खां
21. रूस्तम खां पुत्र हाजी गफार खां जातियान– सिपाही मुसलमान
22. अब्दुल हकीम पुत्र अब्दुल गनी कुरैशी मुसलमान निवासीगण–जैतारण तह–जैतारण।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

23. रणजीतप्रकाश सिंह पुत्र मोतीलाल जाति–जाट निवासी– झुझण्डा तह.– जैतारण।

24. शेरू खां पुत्र आसु खां

25. रईसा पुत्री आसु खां

26. मुमताज पुत्री आसु खां

27. शाबुदीन पुत्र आसु खां जातियान–तेली मुसलमान– निवासीगण– बिरोल तह.–जैतारण पाली।

28. मुकेश पुत्र रामचन्द्र जाति–मोची निवासी– जैतारण।

29. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जी जैतारण तहसील–जैतारण जिला–पाली।

<u>राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0: 22/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–........ व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री सुरेश चौधरी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा बिरोल, पटवार हल्का बिरोल, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित खसरा नंबर 372 रकबा 0–11 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 373 रकबा 95 बीघा 16 बिस्वा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	सुनिल मेघवाल पुत्र सुगनाराम कौम–मेघवाल सा. डिगरना खातेदार।	373/1	12-01	चाही दो.	42.1
	योग	**373/1**	**12-01**	**चाही दो.**	**42.1**
2.	सलीम खां बरकत खां पि. मांगीलाल, घीसाराम पुत्र रसूल के का.मु. सिकन्दर सिक्का खां पि. घीसुखां, पिस्ता लीला पुत्रियां घीसुखां, धापुड़ी पत्नी घीसुखां हाजरी पत्नी करीम, लालमोहम्मद, सुभानखां, गनीमोहम्मद निजामुदीन पि. करीम, पताई, गजराई पुत्रिया करीम कौम लुहार, दुर्गाराम विशनाराम रामअवतार पि. जयराम, दरियाव पत्नी जयराम कौम बावरी सा.देह के बैचान से(मुकेश पुत्र रामचन्द्र कौम मोची सा.जैतारण) अब्दुल अजीज पुत्र सुल्तान खां कौम सिपाही मुसलमान सा.जैतारण, अब्दुल हकीम पुत्र अब्दुल रानी कौम मुसलमान कुरैशी सा. जैतारण रुस्तम खां पुत्र रसीद खां कौम– मुसलमान	372 373 373/2	0-11 24-0 59-15	चाही दो. चाही दो. चाही दो.	1.93 82.01 211.12

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

	सिपाही सा. जैतारण अकबर अली पुत्र लालु रईसा पत्नी सरबुदीम, साबुदीन पुत्र आसु खां, शेरू खां पुत्र आसु खां, रहीसा, मुमताज पुत्रियां आसु कौम-तेली सा.देह, रणजीतसिंह पुत्र मोतीलाल कौम-जाट सा. झुझण्डा, अमराराम पुत्र पोकरराम कौम-जाट सा. डिगरना, सत्यनारायण पुत्र बालुराम चौधरी कौम-जाट सा.देह खातेदार				
	योग	03	84-06	चाही दो.	295.06

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/02/2020 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04-00	स्टाम्प वकालतनामा	03-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	-	महनताना वकील	
महनताना वकील	03-00	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः-	08-00	मिजानः-	03-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.03.03 11:03:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: